जरिये ईमेल
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर जिला अलवर (राज0)
(विकास प्रकोष्ठ)

क्रमांकः / विकास / 2017 / दिनांकः 12/07/2017

आदेश

सरकारी विद्यालयो में अध्ययनरत निर्धन परिवारो के विधार्थियो को इंजीनियरिंग व मेडिकल में (कोटा में) निःशुल्क कोचिंग करवाने के क्रम में उप शासन सचिव शिक्षा ग्रुप–6 विभाग राज0 जयपुर (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में अलवर जिले के सरकारी विद्यालयो में अध्ययनरत निर्धन परिवारो के विधार्थियो को इंजीनियरिंग व मेडिकल में (कोटा में) निःशुल्क कोचिंग करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्यवाहियां समय पर सम्पादित करने हेतु अति0 जिला कलक्टर शहर अलवर को नोडल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अलवर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उक्त अधिकारीगण इस सम्बन्ध मे संलग्न पत्र में अंकित निर्देशानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाहियां सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

जिला कलक्टर अलवर

क्रमांकः / विकास / 2017 / 1225 दिनांकः 12/07/2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. उपशासन सचिव महोदय, शिक्षा ग्रुप–6 विभाग राज0 जयपुर
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला कलक्टर कोटा।

निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. अति0 जिला कलक्टर शहर अलवर – नोडल अधिकारी।
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अलवर– सहायक नोडल अधिकारी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय अलवर
4. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, अलवर।
5. अति0 निजी सचिव / निजी सहायक, जिला कलक्टर / अति0 कलक्टर प्रथम / द्वितीय अलवर।
6. कार्यालय अधीक्षक, कलैक्ट्रेट अलवर।

जिला कलक्टर अलवर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः-पं.24(28)शिक्षा-6/2017 जयपुर, दिनांकः- 4/7/17

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल में निःशुल्क कोचिंग करवाने हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलक्टर, कोटा से प्राप्त पत्रांक परीक्षा/2017/335 दिनांक 23.06.2017 की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि पत्रानुसार सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल में निःशुल्क कोचिंग करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर, प्रस्ताव भिजवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करवाने का श्रम करावें।
संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
Sd.
(आभा बेनीवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. निजी सचिव, जिला कलक्टर कोटा को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. समस्त जिला कलक्टर......... को भेजकर निवेदन है कि इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर समय पर कार्य सम्पादित कराने का श्रम करावें।

उप शासन सचिव

F.24(28)शिक्षा-6/2017

कार्यालय शासन सचिव
माध्यमिक शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या........ 6213
दिनांक........ 26/6/17

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

www.kota.rajasthan.gov.in

क्रमांक : परीक्षा / 2017 / 335

दिनांक 23/06/2017

शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय जयपुर
3991
30/6/17

श्री नरेशपाल गंगवार
शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर

विषय :– सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल में निःशुल्क कोचिंग करवाने हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि शैक्षणिक नगरी कोटा, देशभर में इंजिनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए विख्यात है एवं इस शहर में देशभर से विद्यार्थी पढ़ने आ रहे है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन लगभग 500 सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कोटा कोचिंग संस्थानों के सहयोग से निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने हेतु कटिबद्ध है। अतः सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने 70 प्रतिशत से अधिक अंक बोर्ड परीक्षाओं में अर्जित किये है उनके लिए जिला स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन पूरे राज्य में करवाना चाहता है। उक्त परीक्षा के लिए कार्ययोजना निम्न प्रकार से होगी :–

1. सभी जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर/अति० जिला कलक्टर को इसके लिए नोडल अधिकारी अधिकृत किया जावे।
2. जिला कलक्टर अपने–अपने जिले में इस हेतु एक विज्ञापन का प्रकाशन करावे कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियो नें बोर्ड परिक्षाओं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए है, यदि वे मेडिकल व इंजिनियरिंग प्रवेश परिक्षाओं हेतु कोटा के संस्थानों में निशुल्क तैयारी हेतु अध्ययन करना चाहते है तो दिनांक 30 जून 2017 तक जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के कार्यालय में सपर्क कर फार्म प्राप्त कर सकते है।संबधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अपने यहां एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर परीक्षा आयोजन हेतु कमेटी का गठन कर कार्यवाही करेगे।(फार्म निशुल्क उपलब्ध होगा) तथा फार्म भरकर दिनांक 07 जुलाई 2017 तक पुनः जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करवा सकते है। तदनुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) फार्म प्राप्त कर दिनांक 12 जुलाई तक सूचियां बनाएगे एवं दिनांक 15 जुलाई 2017 तक रोल नम्बर अलोट कर सूचिया संबधित जिला कलक्टर/अति० जिला कलक्टर को उपलब्ध करवाएगे।
3. छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का चिन्हिकरण कर अति० जिला कलक्टर द्वारा विद्यार्थियों की [illegible] कलक्टर कार्यालय के कन्ट्रोल रूम न0 0744–2325342 दिनांक 17 जुलाई 2017 तक उपलब्ध करवाएगे। साथ ही confidential email आई0डी0 भी उपलब्ध कराएगे।

☎0744-2451200(O)2451100(R)0744-2323883(Fax) e-mail : dm-kot-rj@nic.in, rajkot@nic.in

4. तत्पश्चात जिला मुख्यालय कोटा द्वारा 20 जुलाई 2017 तक प्रश्न पत्र एवं ओ0एम0आर शीट सभी जिला मुख्यालय पर confidential email आई0डी0 द्वारा उपलब्ध करवा दिए जाएगे।
5. सभी जिला कलक्टर दिनांक 22 जुलाई 2017 को परीक्षा का आयोजन करवाकर उत्तर पुस्तिकाएं (ओ0एम0आर0 शीट) को संग्रहित करवाएगे।
6. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर विद्यार्थियों के प्राप्तांको सहित एक्सेल शीट जिला कलक्टर कोटा के ई–मेल dm-kot-rj@nic.in/adm-kot-rj@nic.in पर दिनांक 29 जुलाई 2017 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. तत्पश्चात सभी जिलों से प्राप्त रिजल्ट के आधार पर एक मेरिट लिस्ट कोटा कार्यालय में तैयार की जाएगी।
8. परिणाम के आधार पर जिन विद्यार्थियों के द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होगे उनमें मेरिट के आधार पर प्रथम 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।
9. विद्यार्थियों को ई–मेल एवं टेलिफोन के द्वारा सूचित किया जाएगा कि .... कोंचिग संस्थान में .... परीक्षा की तैयारी के लिए चयन कर लिया गया है। इसलिए दिनांक................तक अपनी उपस्थिति कार्यालय कन्ट्रोल रूम पर देवे।
10. कन्ट्रोल रूम के द्वारा उन्हें संबधित कोचिंग संस्थान के साथ टाई–अप कर दिया जावेगा।
11. चयनित विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कोचिंग संस्थानों द्वारा की जावेगी।
12. विद्यार्थियों हेतु होस्टल का चयन पर होस्टल में रहने व खाने की व्यवस्था न्यूनतम राशि पर की जावेगी।
13. विद्यार्थियों की कोटा स्थित राजकीय मा0 विद्यालय में प्रवेश कराया जावेगा जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को नोडल अधिकारी बनाया जावेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आपसे निवेदन है कि संबधित सभी जिला कलक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को उपरोक्त संबध में उचित आदेश प्रसारित कराने का श्रम करावें। ताकि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन विद्यार्थी जिनमें प्रतिभा है परन्तु संसाधनों के अभाव में उच्च अध्ययन हेतु नहीं जा पाते है उन्हे अवसर प्रदान करने का पुनीत कार्य को अग्रेषित किया जा सके।

नोटः– फार्म का प्रारूप, प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी जिला कलक्टर कोटा के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

भवदीय

जिला कलक्टर,
कोटा